41

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 102-II/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.10.2007 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 100/2005–06 निगरानी।

1. हटेसिंह पुत्र श्री सुखलाल दांगी,
2. शिवराजसिंह पुत्र श्री सुखलाल दांगी,
3. रामसिंह पुत्र श्री सुखलाल दांगी,
4. किशोरसिंह (मृतक) पुत्र श्री सुखलाल दांगी,

निवासीगण– ग्राम नाउकुण्ड, तहसील कुरवई,
जिला – विदिशा (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. परताव पुत्र श्री जमुना,
2. गीताबाई पत्नी श्री परताव,
3. उधम पुत्र श्री खुमना,
4. गेंदाबाई पत्नी श्री उधम,
5. कमला पुत्र श्री खुमना,
6. मुन्नीबाई पत्नी श्री कमला,
7. शोभाराकत पुत्र श्री पंचा,
8. सुक्कोबाई पत्नी श्री शोभाराम,
9. पम्मू पुत्र श्री शोभा,
10. रमाला पुत्र श्री शोभा,
11. खिलुआ पुत्र श्री डमरूआ,

निवासीगण– ग्राम नाउकुण्ड, तहसील कुरवई,
जिला – विदिशा (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण
श्री जी.एस. चिटनीस, अभिभाषक, अनावेदकगण

!! आदेश !!

(आज दिनांक .05../02/2016)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 100/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.10.2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार कुरवाई ने दिनांक 05.06.1999 ग्राम नाउकुण्ड के 29 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया, तहसीलदार कुरवाई के उक्त आबंटन आदेश के विरूद्ध आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं बताया कि उन्हें भूमि आबंटन की जानकारी नहीं दी गयी और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया, जॉचोपरांत अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अनावेदकगण के पक्ष में किया गया आबंटन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार कुरवाई को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उनकी पात्रता की सूक्ष्य जॉच करें, विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 19.10.2007 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार, कुरवाई को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा विधि प्रक्रिया के अनुसार हटाकर अनावेदकगण को कब्जा सौंपे। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3– आवेदकगण के अभिभाषकगण द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि विवादित भूमि उनका कब्जा उनके स्वर्गीय पिता सुखलाल के जीवनकाल से निरन्तर चला आ रहा है एवं वर्तमान समय में काबिज होकर खेती कर रहे हैं। तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 1 लगायत 8 को भूमि के पट्टे आबंटित किये हैं, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और ना ही कब्जेदार को आबंटन कार्यवाही से पूर्व सूचना दी गयी है, ऐसी स्थिति में समस्त आबंटन

कार्यवाही विधिवत एवं उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा किये गये आबंटन आदेश निरस्त किये जाये।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि श्रीमती कमलाबाई आदि ने एक व्यवहार वाद न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, कुरवाई, जिला विदिशा के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 44ए/2005 प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हुआ। इसके पश्चात् कमलाबाई द्वारा द्वितीय अपर जिला जज के यहॉ अपील क्र.4ए/2006 प्रस्तुत की थी, जो आदेश दिनांक 25.08.2006 से निरस्त की गयी एवं उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा माना गया। इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 70/04 प्रस्तुत की गयी थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2004 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा मान्य किंया गया। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा था, किन्तु इसके बावजूद इस तथ्य की जॉच किये बिना अनावेदकगण के हित में भूमि का आबंटन किया गया है, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत एवं सही है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखा जाये। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त भूमि का पट्टा अनुसूचित जाति/ जनजाति व्यक्तियों को जारी किये गये है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण इस हेतु पात्र व्यक्ति नहीं है। जहॉ तक उनके कब्जे का प्रश्न है तो उनका कब्जा अवैध है, इसलिए कब्जा हटाये जाने के निर्देश भी अधीनस्थ न्यायालय दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं का सूक्ष्य अवलोकन किया गया। अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदकगण का विवादित भूमि पर विगत कई वर्षो से कब्जा कास्त करके चला आ रहा है। इस तथ्य को व्यवहार न्यायालयों द्वारा अपने आदेश में माना है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को कार्यवाही किये जाने से पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 27.01.1999 से स्पष्ट है कि प्रोसेस क्र.479 दिनांक 30.01.1999 को उद्घोषणा जारी की गयी, किन्तु इश्तहार, ग्राम की चौपाल, तहसील में चस्पा कर प्रकाशन किया जाना अंकित नहीं है और ना ही किस दिनांक को इश्तहार का प्रकाशन कराकर वापिस प्राप्त किया, इसका भी उल्लेख नहीं है। खसरा पंचशाला वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 ग्राम नाउकुण्ड की भूमि खसरा क्र.102/1 रकवा 2.843 पर अतिक्रमण हटेसिंह एवं खसरा क्रमांक 106 रकवा 0.585 पर अतिक्रमण हटेसिंह, खसरा क्र.107/1 रकवा 0.773 पर अतिक्रमण हटेसिंह एवं खसरा क्र.250 रकवा 1.453 हैक्टेयर पर अतिक्रमण हटेसिंह अंकित है। तहसीलदार, कुरवाई द्वारा सर्वप्रथम अतिक्रमण हटाकर बंटन किया जाना चाहिए था और ना ही अतिक्रामकों की भी बंटन से पूर्व सुनवाई ही की गयी है। पटवारी द्वारा भूमिहीन की सूची प्रकरण क्रमांक 26/अ–19/1998–99 में संलग्न है, जिसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है, जिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये है, उनके पास अथवा उनके परिवार में कोई भूमि न होने का उल्लेख है। गीताबाई पत्नी परताव, गेंदाबाई पत्नी उधम, मुन्नीबाई पत्नी कमला तथा सुक्कोबाई पत्नी शोभाराम पति, पत्नी को दोनों ही पट्टे दिये गये है। खाता 57 कुल रकवा 8 रकवा 3.329 है. जो खुमना आदि के नाम से है, खुमना के पुत्र परताव, उधम, कमला तथा तीनों पुत्रों की पत्नियों के नाम क्रमशः गीताबाई, गेंदाबाई एवं मुन्नीबाई को पट्टा दिया गया है। उक्त खाते में से खुमना तथा तीन पुत्रीयों को हिस्सा 1.426 हैक्टेयर है। शोभाराम तथां दो भाईयों के नाम रकवा 0.476 हैक्टेयर का खाता है। खाता क्रमांक 56 कुल किता 11 रकवा 1.756 हैक्टेयर खुमना जो परताव, उधम, कमला के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व भाग 1/2 है तथा पम्मू, रमला पुत्रगण शोभा के नाम भूमि है, जिसका 1/2 भाग है। शोभाराम पुत्र पंचा तथा फेरन; रंधीर पुत्र पंचा का भी 1/2

का हिस्सा है। खसरा पंचशाला 2002–03, 2003–04 ग्राम नाउकुण्ड सर्वे क्र. 227/1/क रकवा 0.507 हैक्टेयर रामदयाल पुत्र शोमा के नाम से पट्टा है, सर्वे क्रमांक 227/1/ख रकवा 0.707 हैक्टेयर, मुल्ली पुत्र शोमा सर्वे क्रमांक 250/2 रकवा 0.500 हैक्टेयर, रंधीर पुत्र पंचा, सर्वे क्रमांक 62/2 रकवा 0.578 हैक्टेयर, हिरनिया पुत्र पंचा सर्वे क्रमांक 62/3 रकवा 0.569 हैक्टेयर, चुन्ना पुत्र शोमा, सर्वे क्रमांक 46/3/3/1 रकवा 0.546 हैक्टेयर, कंछेन्दी पुत्र शोमा, सर्वे क्रमांक 114/1/2/क, रकवा 0.778 हैक्टेयर, मुलुआ पुत्र दमरूआ, सर्वे क्रमांक 114/1/2/ख रकवा 0.778 हैक्टेयर, किशोरा पुत्र दमरूआ के नाम से अंकित है। उधम पुत्र खुमना, शोभाराम पुत्र पंचा का नाम भूमिहीन की सूची में नहीं है। इसी प्रकार रामदयाल का नाम भूमिहीन की सूची में नहीं है। भूमिहीन की सूची में क्रमांक 24 एवं 29 रज्जू पुत्र सुक्का, जाति रावत एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम दो बार लिखा गया है। इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति का विधिवत अवलोकन किये बिना ही आबंटन आदेश जारी किये है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा अपने आदेश में उपरोक्त वर्णित स्थिति पर सकारण एवं स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उनके आदेश को स्थिर रखे जाने का औचित्य ही नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2007 अपास्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2005 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर